न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 मुकाम भिनाय

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./01/2023

1. भंवरलाल पुत्र श्री हीरा कीर जाति कीर निवासी केरोंट तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. आत्माराम पुत्र हीरा कीर जाति कीर
2. कैलाशचन्द पुत्र श्यामलाल भांबी जाति भांबी
3. श्रीमती नाथी पत्नि श्यामलाल जाति भांबी
4. माफी मंदिर श्री श्री श्रीजीमहाराज जरिये पुजारी महावीर पुत्र बंशीलाल शास्त्री समस्त निवासीगण कैरोंट तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी–शिवकुमार जोशी

2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 11.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा कैरोंट पटवार क्षेत्र कैरोंट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 382 में दर्ज ख0न. 1421 रकबा 0.02, 1422 रकबा 0.20 हैं0, कुल किता 02 कुल रकबा 0.22 हैं0** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 5 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 को नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर उनके के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया है। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम सरगांव का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा कैरोंट पटवार क्षेत्र कैरोंट भू0अ0नि0 क्षेत्र नान्दसी के खाता सं0 382 में दर्ज ख0न. 1421 रकबा 0.02, 1422 रकबा**

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner